प्रेषक,

हरिचन्द्र सेमवाल
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, धर्मस्व, तीर्थाटन प्रबन्धन एवं धार्मिक मेला अनुभागः देहरादूनः दिनाँकः10 दिसम्बर, 2024

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–783/2017 "नरेन्द्रनगर में ऑडिटोरियम के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी"के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या– 2184/सं0नि0उ0/दो–3 (मा0मु0 घो0–140)/2024–25, दिनांक 04.10.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विषयगत घोषणा के कियान्वयन के सम्बन्ध में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम के द्वितीय चरण के कार्यों/फिनीशिंग कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तुत आगणन धनराशि **रू0 984.22 लाख (रू0 नौ करोड़ चौरासी लाख बाईस हजार मात्र)** की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– तत्क्रम में विषयगत कार्य के सम्बन्ध में विभागीय व्यय समिति की बैठक दिनांक 21.11.2024 में लिये गये निर्णय के क्रम में उक्त कार्य हेतु प्रस्तुत आगणन की औचित्यपूर्ण पाई गयी **धनराशि रू0 944.03 लाख (नौ करोड़ चवालीस लाख तीन हजार मात्र)** की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में **धनराशि रू0 109.25 लाख (रू0 एक करोड़ नौ लाख पच्चीस हजार मात्र)** आपके निवर्तन पर रखते हुये व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

3– उक्त स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी हैः–

(i) उक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–I/201358/2024, दिनांक 22.03.2024 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) मितव्ययी मदों में व्यय आवंटित सीमा तक ही सीमित रखा जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

(iii) व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन

e No. CR-CM-G/1/39/2022-VI-2-Culture and Religion Department (Computer No. 32482)

सुनिश्चित किया जाय।

4– उक्त कार्य के सम्बन्ध में विभागीय व्यय समिति की बैठक दिनांक 21.11.2024 में दिये गये निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय।

5– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्त विभाग के शासनादेश सं0–474 / XXVII(7)/2008 दिनांक–15–12–08 के विहित शर्तो के अनुसार कार्यदायी संस्था से निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

7– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

8– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

9– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

10– आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

11– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047 /XIV–219(2006) दिनांक 30–5–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

12– कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017(यथासंशोधित) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

13– व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमाकर दिया जाय।

14– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। तथा विलम्ब के कारण आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। कार्य का गुणवत्ता परीक्षण नियोजन विभाग द्वारा चयनित संस्था से कराये जाने हेतु प्रस्ताव समयान्तर्गत नियोजन विभाग को प्रेषित करते हुए समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी।

15– धनराशि का आहरण कार्य की भौतिक प्रगति के स्थलीय सत्यापन के उपरान्त प्रगति संतोषजनक होने पर किया जायेगा।

16— उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 के अनुदान संख्या —11 के लेखाशीर्षक—4202—शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय— 04—कला एवं संस्कृति—800—अन्य व्यय—03—सांस्कृतिक परिसर/कला केन्द्र/विद्यालय/ऑडिटोरियम आदि का निर्माण—53—वृहद निर्माण कार्य मानक मद के पूंजीगत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

Signed by
Hari Chandra Semwal
Date: 09-12-2024 17:39:00

(हरिचन्द्र सेमवाल)
सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रधान महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2— वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
3— वित्त अनुभाग—3, उत्तराखण्ड शासन।
4— बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
5— अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, प्रखण्ड नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।
6— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by
Ramesh Singh Rawat
Date: 09-12-2024 17:40:12

(रमेश सिंह रावत)
अनु सचिव।